2रु कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

79

R.2695-II/13

न्यायालय- श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर , कैम्प सागर म0प्र0

= =

धर्मदास तनय स्व0 श्री गुपला अहिरवार

निवासी- ग्राम चितहरी, तहसील लौंड़ी, जिला छतरपुर म0प्र0

...... निगरानीकर्ता.

॥ विरूद्ध ॥

1. श्रीमति गिंदियाबाई पत्नि श्री पूरन अहिरवार

   निवासी- घुसयाना मोहल्ला वेलाताल, तह0 कुलपहाड़

   जिला महोबा ॥उ0प्र0॥

2. श्रीमति कुंईया बाई पत्नि श्री मुलचन्द अहिरवार

   निवासी- ग्राम अरवारा, तह0 कुलपहाड़, जिला महोबा उ0प्र0

...... अनावेदकगण.

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता.

- -

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता, न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक- 17.5.13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है:-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रकरण में वादग्रस्त भूमि जिसका नामांतरण निगरानीकर्ता के पक्ष में नामांतरण पंजी क्र0-9 में पारित आदेश दिनांक- 6.7.94 को हो गया था , जिसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा करीब 16 वर्ष की अवधि पश्चात एक अपील अनुविभागीय अधिकारी लौंड़ी के समक्ष प्रस्तुत की, साथ ही साथ अनावेदक द्वारा अपनी उक्त अपील के साथ एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा - 5 एवं एक आवेदन पत्र आवश्यक पक्षकार मान्य किए जाने हेतु प्रस्तुत किया ।

2. यह कि, निगरानीकर्ता द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त

...2.

79

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2695-तीन/2013 जिला छतरपुर धर्मदास विरूद्ध गिंदियाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 49/निगरानी/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 17-05-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 11-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित	

3.1.19

किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
3.1.19